

**फर्द अहकाम  
(नियम 15)**

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण  
श्री. राजशिव लाल  
जानि- सुजत सा. राजशिव लाल

बनाम  
प्रतिवादीगण  
श्री. राजशिव लाल  
सा. राजशिव लाल  
तहसील- साजत जिला- पल्ली

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 198 RT आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं: 159/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम में जारी हुआ।
------------	-----------------------------------	--

16-09-2019

वकील वादीगण उपस्थित।  
वकील वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 198 RT आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 04-11-2019 को पेश हो।

ने  
707  
20/9/19

उप खण्ड अधिकारी, सोजत

4-11-19

वकील वादीगण उपस्थित।  
वकील वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 198 RT आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 04-11-2019 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं सप  
खण्ड मजिस्ट्रेट, स

17/12/19

अखिरकार मय वकील एवं प्रतिवादी गण उपस्थित।  
अखिरकार मय वकील ने प्रथम पत्र पेश कर उपर  
अनुदान के बाद उपर्युक्त में वकील एवं प्रतिवादी  
के मध्य दोष प्रदासत की जायना के तलबनाम देने  
से अखिर वकील एवं प्रतिवादी के मध्य कोई मय भुगत नहीं  
प्राप्त हो वकील एवं प्रतिवादी मिला - इन्हें है तलब के बाद  
पल्लम नहीं पाए। इन्हें जरिये मिशेल खारेज किये  
जाने की इच्छा की।

इस कार्य पत्र अखिरकार मय वकील एवं  
प्रतिवादी मिशेल खारेज किया जाता है। प्रतिवादी  
केतल सुभार केरु नरुत से कम हो पत्रावली  
बाद तलबील बाद फलतः दावेत (क) (क) (क) (क)  
कण्डर हो

मोती लाल

Surendr  
D.